सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NMC नियम को रद्द किया जाना

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स]

***?????? ????? ????? ???* मामले, 2024** में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशा-निर्देश को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया, जिसके अनुसार MBBS प्रवेश हेतु दिव्यांग उम्मीदवारों के **"दोनों हाथों स्वस्थ, अक्षुण्ण संवेदना और पर्याप्त क्षमता होनी** चाहिये"।

- इस दिशा-निर्देश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016, संविधान के अनुच्छेद 41 और संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD) **के विपरीत** माना गया।
  - **अनुच्छेद 41** के अंतर्गत कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, अस्वस्थता और दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की संरक्षा का प्रावधान किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी उम्मीदवार की योग्यताओं के **कार्यात्मक मूल्यांकन को कठोर पात्रता मानदंडों पर प्राथमिकता** दी जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि NMC का **मूल्यांकन बोर्ड दो ऐतिहासिक निर्णयों** में निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहा:
  - ***?????? ?????????? ????? ??????, 2024* :** इसने निर्णय दिया कि मात्र दिव्यांगता का परिमाणीकरण अपर्याप्त है, **कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन** किया जाना चाहिये।
  - ***?? ???????? ????? ???????????? ????? ???????????? ??????, 2024* :** इसमें शारीरिक विशेषताओं की तुलना में **कार्यात्मक योग्यता** को प्राथमिकता देते हुए **दिव्यांग उम्मीदवारों के लिये अवसरों** पर ज़ोर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने NMC से संविधान, RPwD अधिनियम, UNCRPD और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप **दिव्यांगता प्रवेश दिशानिर्देशों को संशोधित** करने का आग्रह किया।

और पढ़ें: दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिये सुगमयता बढ़ाना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-strikes-down-nmc-rule